



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042022-235448
CG-DL-E-29042022-235448

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1924]
No. 1924]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 2022/वैशाख 9, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 2022/VAISAKHA 9, 1944

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(कार्मिक-I अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2022

का.आ. 2024(अ).—25 नवंबर, 2021 को भारत के राजपत्र में का.आ. 4869 (अ) के जरिए प्रकाशित इस मंत्रालय की दिनांक 24 नवंबर, 2021 की अधिसूचना संख्या 2(5)/2021-सीएल अतिक्रमण में और सूचना प्रौद्योगिकी (जनसाधारण द्वारा सूचना के अभिगम के अवरोधन के लिए कार्यविधि और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 के नियम 3 के साथ पठित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 69क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा श्री अमितेश कुमार सिन्हा, आईआरएएस (1997), संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6 सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली -110003 को उक्त नियमों के प्रयोजन से पदनामित अधिकारी के रूप में प्राधिकृत और पदनामित करती है।

[फा. सं. 2(1)/2017-कार्मिक I (पार्ट)]

भुवनेश कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY**(Personnel-I Section)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th February, 2022

S.O. 2024(E).—In supersession of this Ministry's Notification No. 2(5)/2021-CL dated 24th November 2021 published in the Gazette of India vide S.O. 4869(E) on 25th November 2021 and in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 69A of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) read with rule 3 of the Information Technology (Procedure and Safeguards for Blocking for Access of Information by Public) Rules, 2009, the Central Government hereby authorises and designates Shri Amitesh Kumar Sinha, IRAS (1997), Joint Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, Electronics Niketan, 6 Central Government Offices Complex, New Delhi - 110003, as the Designated Officer for the purpose of the said rules.

[F. No. 2(1)/2017-Pers.I (Pt.)]

BHUVNESH KUMAR, Jt. Secy.